

## हिन्दी अनुभाग

विस्तार निदेशालय में राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापना एकक के अंतर्गत एक अनुभाग के रूप में स्थापित किया गया है। यह अनुभाग निदेशालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

### 1) हिंदी शिक्षण योजना

(क) यह अनुभाग राजभाषा अधिनियम 1963 की सभी धाराओं एवं राजभाषा नियमावली 1976 के सभी उपबंधों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है।

(ख) राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण के सत्र में निदेशालय के अवर श्रेणी लिपकों/आशुलिपिकों आदि को प्रशिक्षण के लिए नामित करना।

(ग) राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशाला में कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए नामित करना।

### 2) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

(क) **तिमाही प्रगति रिपोर्ट :-** निदेशालय के सभी एककों/अनुभागों से जून, सितंबर, दिसंबर, और मार्च को समाप्त तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगाना और उनको संकलित करके निदेशालय की समेकित रिपोर्ट कृषि मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग एवं क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय को प्रेषित करना। अनुभागों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करना और पाई गई कमियों के निराकरण के लिए सुझाव देना। मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग और क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय से प्राप्त निदेशालय की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(ख) **जांच बिन्दु :-** राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्थापित किए गए जांच बिन्दु को और सशक्त बनाने संबंधी कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार करना।

(ग) **अनुभागों का निरीक्षण :-** राजभाषा विभाग एवं निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निदेशालय के अनुभागों में हिन्दी कामकाज का निरीक्षण करना।

3) **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन:-** वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही अर्थात् जून, सितंबर, नवम्बर, एवं फरवरी में एक-एक बैठक आयोजित की जाती है, इस संबंध

में प्रत्येक बैठक की कार्यसूची, कार्यसूची टिप्पण, कार्यवृत्त तैयार कर वरिष्ठ अधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

4.) संसदीय राजभाषा समिति और मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों के लिए मांगी जाने वाली अद्यतन सूचना भेजना।

5.) वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, राजभाषा विभाग को भेजना।

6.) निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू हिंदी में सर्वाधिक कार्य योजना और हिंदी में डिक्टेसन देने संबंधी प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से प्राप्त सामग्री का समिति गठित करवाकर मूल्यांकन करवाना और पुरस्कारों का निर्धारण करना। यह योजना वर्तमान में वर्ष 2016-17 की लागू की जा रही है।

7.) राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला व समय-समय पर राजभाषा संगोष्ठी आयोजित करना।

8.) हिंदी पखवाड़ा का आयोजन :-

(क) सितंबर माह में हिंदी पखवाड़े का आयोजन।

(ख) 14 सितंबर को विशेष बैठक आयोजित करके हिंदी पखवाड़ा का शुभारम्भ करना।

(ग) हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपर आयुक्त विस्तार की अपील जारी करना।

(घ) राजभाषा हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

(च) राजभाषा काव्य संगोष्ठी एवं अन्य प्रेरक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(छ) पुरस्कार वितरण एवं हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन करना।

9.) राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु राजभाषा विस्तारिका का प्रकाशन (वार्षिक रूप से) अभी तक इसके आठ अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं।

10.) पूरे वर्ष के दौरान निदेशालय के विभिन्न अनुभागों से अनुवाद के लिए समय-समय पर प्राप्त होने वाली विभिन्न तरह की सामग्रियों का अनुवाद करना, उनकी पुनरीक्षा (वेटिंग) करना, टंकित सामग्री का मूल प्रति से मिलान करना, पुनः त्रुटियों को शुद्ध करना।

11.) राजभाषा दीवार पत्रिका का प्रदर्शन : क्रमानुसार विभिन्न एककों से प्राप्त सुरुचिपूर्ण/प्रेरक रचनाओं का दीवार पत्रिका के माध्यम से प्रतिमाह प्रदर्शन।

## हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2015-16 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
1.	हिन्दी में मूल पत्राचार (तार, बेतार, टेलेक्स, फ़ैक्स, आरेख, ई-मेल आदि सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100 % 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100 % 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65 % 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के 100 % कार्यालय/व्यक्ति	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90 % 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90 % 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55 % 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के 100% कार्यालय/व्यक्ति	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55 % 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55 % 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55 % 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के 85 % कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना	100 %	100 %	100 %
3.	हिन्दी में टिप्पण	75 %	50 %	30 %
4.	हिन्दी टंकण एवं आशुलिपिक की भर्ती	80 %	70 %	40 %
5.	हिन्दी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65 %	55 %	30 %
6.	हिन्दी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100 %	100 %	100 %
7.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100 %	100 %	100 %
8.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिन्दी में पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	50 %	50 %	50 %
9.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100 %	100 %	100 %
10.	वेबसाइट	100 % (द्विभाषी)	100 % (द्विभाषी)	
11.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100 % (द्विभाषी)	100 % (द्विभाषी)	100 % (द्विभाषी)

12. (i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों, (स. सं./निदे./सं.उ.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25 % (न्यूनतम)	25 % (न्यूनतम)	25 % (न्यूनतम)
(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25 % (न्यूनतम)	25 % (न्यूनतम)	25 % (न्यूनतम)
(iii) विदेश में स्थित केन्द्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
13. राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क) हिन्दी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें (कम से कम)	
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
14. कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिन्दी अनुवाद		100 %	
15. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिन्दी में हो	<u>'क' क्षेत्र</u> 40 %	<u>'ख' क्षेत्र</u> 30 % (न्यूनतम अनुभाग)	<u>'ग' क्षेत्र</u> 20 %

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग अवधारणा नहीं हों, 'क' क्षेत्र में कुल कार्यक्षेत्र का 40 %, 'ख' और 'ग' क्षेत्र में 15 % कार्य हिन्दी में किया जाए।

## हिन्दी अनुभाग में सृजित पद

1. सहायक निदेशक (राजभाषा) – 1
2. वरिष्ठ अनुवादक – 1
3. कनिष्ठ अनुवादक – 1
4. प्रवर श्रेणी लिपिक – 1
5. एमटीएस – 1

## हिंदी अनुभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ

निदेशालय के हिंदी अनुभाग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाती हैं : –

### 1) हिंदी शिक्षण योजना

(क) राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण के सत्र में निदेशालय के अवर श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों आदि को प्रशिक्षण के लिए नामित करना। ☺

(ख) राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशाला में कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए नामित करना।

### 2) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

(क) **तिमाही प्रगति रिपोर्ट :-** निदेशालय के सभी एककों/अनुभागों से जून, सितंबर, दिसंबर, और मार्च को समाप्त तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगाना और उनको संकलित करके निदेशालय की समेकित रिपोर्ट कृषि मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग एवं क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय को प्रेषित करना। अनुभागों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करना और पाई गई कमियों के निराकरण के लिए सुझाव देना। मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग और क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय से प्राप्त निदेशालय की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(ख) **जांच बिन्दु :-** राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्थापित किए गए जांच बिन्दु को और सशक्त बनाने संबंधी कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार करना।

(ग) **अनुभागों का निरीक्षण :-** राजभाषा विभाग एवं निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निदेशालय के अनुभागों में हिन्दी कामकाज का निरीक्षण करना।

3) **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन:-** वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही अर्थात् जून, सितम्बर, नवम्बर, एवं फरवरी में एक-एक बैठक आयोजित की जाती है, इस संबंध में प्रत्येक बैठक की कार्यसूची, कार्यसूची टिप्पण, कार्यवृत्त तैयार कर वरिष्ठ अधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

4.) संसदीय राजभाषा समिति और मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों के लिए मांगी जाने वाली अद्यतन सूचना भेजना।

- 5.) वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, राजभाषा विभाग को भेजना।
- 6.) निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू हिंदी में सर्वाधिक कार्य योजना और हिंदी में डिक्टेसन देने संबंधी प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से प्राप्त सामग्री का समिति गठित करवाकर मूल्यांकन करवाना और पुरस्कारों का निर्धारण करना।
- 7.) राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला व समय-समय पर राजभाषा संगोष्ठी आयोजित करना।
- 8.) **हिंदी पखवाड़ा का आयोजन :-**
- (क) सितंबर माह में हिंदी पखवाड़े का आयोजन।
- (ख) 14 सितंबर को विशेष बैठक आयोजित करके हिंदी पखवाड़ा का शुभारम्भ करना।
- (ग) हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपर आयुक्त विस्तार की अपील जारी करना।
- (घ) राजभाषा हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- (च) राजभाषा काव्य संगोष्ठी एवं अन्य प्रेरक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- (छ) पुरस्कार वितरण एवं हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन करना।
- 9.) राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु राजभाषा विस्तारिका का प्रकाशन (वार्षिक रूप से)।
- 10.) पूरे वर्ष के दौरान निदेशालय के विभिन्न अनुभागों से अनुवाद के लिए समय-समय पर प्राप्त होने वाली विभिन्न तरह की सामग्रियों का अनुवाद करना, उनकी पुनरीक्षा (वेटिंग) करना, टंकित सामग्री का मूल प्रति से मिलान करना, पुनः त्रुटियों को शुद्ध करना।
- 11.) राजभाषा दीवार पत्रिका का प्रदर्शन : क्रमानुसार विभिन्न एककों से प्राप्त सुरुचिपूर्ण/प्रेरक रचनाओं का दीवार पत्रिका के माध्यम से प्रतिमाह प्रदर्शन।

## हिन्दी अनुभाग के कार्य का बंटवारा

### श्री किशोर श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (राजभाषा)

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें।
- (i) कार्य सूची (ii) कार्यसूची टिप्पण (iii) कार्यवृत्त तैयार करना
2. संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट।
- (i) प्राप्त पत्रों का जवाब (ii) अश्वासन व अन्य
3. केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक।
4. केन्द्रीय हिन्दी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक।
5. हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक।
6. अनुवाद कार्य व समय-समय पर दिए जाने वाला अन्य कार्य।
7. जांच बिन्दु/अनुभागों का निरीक्षण (i) अनुभागों के निरीक्षण की रूपरेखा (ii) अनुभागों को सूचित करना (iii) निरीक्षण उपरान्त रिपोर्ट तैयार करना (iv) अनुवर्ती कार्रवाई करना
8. इंदिरा गाँधी शील्ड योजना।
9. हिन्दी में मूल टिप्पण आलेखन
10. नकद पुरस्कार योजना।
11. अधिकारियों के लिए हिंदी में डिक्टेशन देने पर नकद पुरस्कार योजना।
12. क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार, शील्ड योजना आदि।
13. हिंदी अनुभाग के कर्मियों से जुड़ी समस्याएं एवं आवश्यकताएं।
14. हिन्दी कार्यशाला का आयोजन (i) कार्यशाला की रूप रेखा बनाना (प्रत्येक तिमाही में) (ii) अतिथि प्रवक्ता से संपर्क (iii) रिपोर्टिंग।
15. पुस्तकों/पत्रिकाओं/कैसेटों आदि की खरीद।
16. मंत्रियों आदि, के लिए संदेश/भाषण, आदि तैयार करना।
17. राजभाषा संगोष्ठियों/कार्यक्रमों का आयोजन (i) रूपरेखा (ii) तैयारी (iii) अतिथियों आदि को आमंत्रित करना (iv) संचालन एवं रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण।
18. राजभाषा स्मारिका का प्रकाशन (i) लेख आमंत्रित करना (ii) सामग्री का चयन करना (iii) संपादन आदि प्रूफ संशोधन करना (iv) मुद्रण हेतु प्रस्तुत करना (v) वितरण सूची तैयार करना आदि।
19. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम डाउनलोड कर समय पर जारी करना एवं उसके अमल हेतु, विभिन्न एकक/अनुभागों आदि से अनुरोध करना।
20. हिन्दी में विज्ञापन तैयार करना
21. विविध संदर्भ।
22. वेबसाइट संबंधी कार्य।
23. सौंपे जाने वाले अन्य कार्य एवं समय-समय पर।

### श्री राजकण एवं श्री अभिन्दन

1. अनुवाद/मिलान/प्रूफ संशोधन कार्य
2. विविध संदर्भ।
3. वेबसाइट संबंधी कार्य।
4. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण।
5. वार्षिक मूल्यांकन/वार्षिक कार्यक्रम।
6. सौंपे जाने वाले अन्य कार्य एवं समय-समय पर

## अभिन्दन स्वर्णकार

1. अनुवाद/मिलान/प्रूफ संशोधन कार्य।
2. वेबसाइट संबंधी कार्य।
1. विविध संदर्भ।
2. सौंपे जाने वाले अन्य कार्य एवं समय-समय पर

## बिक्रम सिंह रावत

1. अधिकारियों/कर्मचारियों का शिक्षण/प्रशिक्षण (i) प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ (ii) नियमित दीर्घकालिक टंकण/आशुलिपिक (iii) अल्पकालिक टंकण/आशुलिपिक (iv) पत्राचार
3. वार्षिक मूल्यांकन/वार्षिक कार्यक्रम।
4. वर्गीकृत रिकार्ड का अवर्गीकरण।
5. अनुभाग की पुरानी फाइलों की रिकार्डिंग, इन्डेक्सिंग तथा वीडिंग संबंधी कार्रवाई।
6. वर्गीकृत रिकार्ड का अवर्गीकरण।
7. तिमाही प्रगति रिपोर्ट (i) विभिन्न अनुभागों से रिपोर्ट मंगवाने हेतु पत्र जारी करना (ii) रिपोर्ट प्राप्त कर उन्हें समेकित करना (iii) रिपोर्ट अनुमोदन के पश्चात्
8. हिन्दी कार्य में रूचि रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची (i) तैयार करना, जारी करना (ii) हस्ताक्षर कराना।
9. हिन्दी की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए रोस्टर तैयार करना।
10. आवधिक विवरणियाँ (अवकाश/मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक रिपोर्ट आदि तैयार कर प्रस्तुत करना)।
11. प्राप्त सामग्री की डायरी करना व भेजना।
12. निदेशालय के कर्मियों का राजभाषा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों/संमेलनों/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने संबंधी कार्रवाई।
13. अनुभाग की पुरानी फाइलों की रिकार्डिंग, इन्डेक्सिंग तथा वीडिंग संबंधी कार्रवाई।
14. डिस्प्ले बोर्ड पर महापुरुषों के विचारों का संयोजन एवं प्रदर्शन।
15. गार्ड फाइल/रजिस्ट्रों अदि पर प्रविष्टियाँ (आवती/जारी/डायरी संख्या आदि)।
16. लेखन सामग्री की आपूर्ति।
17. सौंपे जाने वाले अन्य कार्य एवं समय-समय पर



## वर्ष 2013-14 के दौरान हिंदी अनुभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली

### विभिन्न गतिविधियों संबंधी कार्य योजना

राजभाषा विभाग के दिनांक 31.12.1975 के का.ज्ञा.सं. 11/13019/75 रा.भा. (ग), दिनांक 08.09.1987 के का.ज्ञा.सं. 13055/11/87/रा.भा. (ग), एवं दिनांक 08.06.1988 के का.ज्ञा.सं. 13017/04/88/रा.भा. (ग) के अनुसार हिंदी अनुभाग (अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक और हिंदी अधिकारी) को निम्नवत् कार्य सौंपे गए हैं : -

- 1.) अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद का काम और उसकी वैटिंग।
- 2.) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम के उपबंधों तथा हिंदी प्रशिक्षण और राजभाषा संबंधी आदेशों की जानकारी कराना और उनके कार्यान्वयन में मदद करना।
- 3.) राजभाषा अधिनियम उपबंधों के तथा हिंदी प्रशिक्षण और राजभाषा संबंधी आदेशों को अपने विभाग में यथोचित रूप से अनुपालन कराना।
- 4.) कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव के रूप में काम करना और उसकी बैठक समय-समय पर आयोजित कराना। उन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त तैयार करना तथा बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का समन्वय करना।
- 5.) हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए समय-समय पर उचित सुझाव देना और इस बारे में राजभाषा विभाग से उचित माध्यम द्वारा संपर्क रखना।
- 6.) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी सीखने तथा सरकारी कामकाज में उसका इस्तेमाल करने में मदद करना।

निदेशालय के हिंदी अनुभाग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाती हैं : -

#### 1) हिंदी शिक्षण योजना

(क) राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण के सत्र में निदेशालय के अवर श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों को प्रशिक्षण के लिए नामित करने से संबंधी प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना।

(ख) राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशाला में कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए नामित करने संबंधी प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना। इस तरह की कार्यशाला में श्री चन्द्र भूषण वर्मा, अवर श्रेणी लिपिक को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

#### 2) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

(क) **तिमाही प्रगति रिपोर्ट :-** निदेशालय के सभी एककों/अनुभागों से जून, 2013, सितंबर, 2013, दिसंबर, 2013 और मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट को मंगाना और उसको संकलित करके निदेशालय की समेकित रिपोर्ट कृषि मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग एवं क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय को प्रेषित करना। सभी अनुभागों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करना और पाई गई कमियों के निराकरण के लिए सुझाव देना। मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग और क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय से प्राप्त निदेशालय की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(ख) जांच बिन्दु :- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्थापित किए गए जांच बिन्दु को और सशक्त बनाने संबंधी कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।

(ग) अनुभागों का निरीक्षण :- इस संबंध में राजभाषा विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान मुख्यालय के 25 % अनुभागों का निरीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है परंतु निदेशालय के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण संबंधी कार्य निम्नवत् कार्यक्रमानुसार किए जाने का प्रस्ताव है:

- (1) कृषि सूचना, प्रदर्शनी, मास मीडिया, एनजीआरसीए - जुलाई, 2013
- (2) स्थापना, केसीसी, बजट एवं रोकड़ अनुभाग - अक्टूबर, 2013
- (3) विस्तार प्रबंध, विस्तार प्रशिक्षण एवं विस्तार सुधार एकक - जनवरी, 2014

3) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन:- वर्ष 2013-14 के दौरान प्रत्येक तिमाही अर्थात् सितम्बर, 2013, नवम्बर, 2013 एवं फरवरी, 2014 में एक-एक बैठक आयोजित की जानी है, इस संबंध में प्रत्येक बैठक की कार्यसूची, कार्यसूची टिप्पण, कार्यवृत्त तैयार कर वरिष्ठ अधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना होगा। बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी होगी।

4.) संसदीय राजभाषा समिति और मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों के लिए मांगी जाने वाली अद्यतन सूचना भेजनी होगी।

5.) वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट मंत्रालय के राजभाषा विभाग को भेजना होगा।

6.) निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू हिंदी में सर्वाधिक कार्य योजना और हिंदी में डिक्टेशन देने संबंधी प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से प्राप्त सामग्री का समिति गठित करवाकर मूल्यांकन करवाना और पुरस्कारों का निर्धारण किया जाना है।

7.) राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला/राजभाषा संगोष्ठी आयोजित की जानी है। जैसे - अगस्त 2013, अक्टूबर 2013, दिसम्बर 2013 एवं फरवरी 2014 में इन्हें आयोजित किया जाना है।

8.) हिंदी पखवाड़ा का आयोजन :-

- (क) 14 सितंबर, 2013 से 30 सितंबर, 2013 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाना है।
- (ख) 14 सितंबर, 2013 को विशेष बैठक आयोजित करके हिंदी पखवाड़ा का शुभारम्भ करवाना।
- (ग) हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपर आयुक्त विस्तार की अपील जारी करना।
- (घ) विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- (च) काव्य संगोष्ठी का आयोजन करना।
- (छ) पुरस्कार वितरण एवं हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन करना।

9.) राजभाषा विस्तारिका, 2013 एवं राजभाषा विस्तारिका, 2014 का प्रकाशन (जुलाई, 2013 से सितम्बर, 2014)

- (क) निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से लेख आमंत्रित करना।
- (ख) बाहरी लेखकों से लेख मंगाना, लेखों को प्रकाशन हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।

10.) पूरे वर्ष के दौरान निदेशालय के विभिन्न अनुभागों से अनुवाद के लिए समय-समय पर प्राप्त होने वाली विभिन्न तरह की सामग्रियों का अनुवाद करना, उनकी पुनरीक्षा (वेटिंग) करना, टंकित सामग्री का मूल प्रति से मिलान करना, पुनत्रुटियों को शुद्ध करना तत्पश्चात् सामग्री की स्वच्छ प्रति संबंधित अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए वापस लौटाना है।

हिंदी अनुभाग की वर्ष 2014-15 की कार्य योजना

क्र.सं.	कार्य	लक्ष्य (संख्या में)	पूरा करने की अवधि			
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही
1.	हिन्दी कार्य की प्रगति हेतु अनुभागों का निरीक्षण	12 अनुभाग	3	3	3	3
2.	कार्यशाला / राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन	4	1 (30 जून, 2014 तक)	1 (30 सितंबर, 2014 तक)	1 (31 दिसंबर, 2014 तक)	1 (31 मार्च, 2015 तक)
3.	वेबसाइट का द्विभाषीकरण	निदेशालय की वेबसाइट का द्विभाषीकरण.	1 (30 जून, 2014 तक)	—	—	—
4.	हिंदी पखवाड़े का आयोजन	1	—	1 (30 सितंबर, 2014 तक)	—	—
5.	अधिकारियों के लिए हिन्दी में डिक्टेशन देने की प्रोत्साहन योजना	1	लागू	लागू	लागू	लागू
6.	कर्मचारियों के लिए हिन्दी में सर्वाधिक कार्य प्रोत्साहन योजना	1	लागू	लागू	लागू	लागू
7.	राजभाषा विस्तारिका का प्रकाशन	1	—	1 (30 सितंबर, 2014 तक)	—	—
8.	तिमाही बैठक का आयोजन	4	1 (30 जून, 2014 तक)	1 (30 सितंबर, 2014 तक)	1 (31 दिसंबर, 2014 तक)	1 (31 मार्च, 2015 तक)
9.	हिंदी टाईपिंग प्रशिक्षण	24 (6+18) (अवर श्रेणी लिपिक+एम.टी.एस.)	6 (30 जून, 2014 तक)	6 ( 31.मार्च, 2015)	6 ( 31.मार्च, 2016)	6 ( 31.मार्च, 2017)
10.	हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण	1 (आशुलिपि)	—	—	—	1 (31 मार्च, 2015)

**हिंदी अनुभाग की वर्ष 2013-14 के कार्य योजना की उपलब्धियां**

क्र.सं.	कार्य	लक्ष्य (संख्या में)	पूरा करने की अवधि				
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	उपलब्धियां
1.	हिन्दी कार्य की प्रगति हेतु अनुभागों का निरीक्षण	12 अनुभाग	3	3	3	3	12 अनुभाग
2.	कार्यशाला राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन	3	—	1 (30 सितम्बर, 2013)	1 (31 दिसंबर, 2013 तक)	1 (31 मार्च, 2014 तक)	3 (20.07.2013, 06.12.2013 को आयोजित एवं 26.03.2014 को प्रस्तावित)
3.	वेबसाइट का द्विभाषीकरण	निदेशालय की वेबसाइट का द्विभाषीकरण.	—	—	31 दिसम्बर, 2013	—	अभी द्विभाषी नहीं किया जा सका है।
4.	हिंदी पखवाड़े का आयोजन	1	—	1 (30 सितंबर, 2014 तक)	—	—	16 सितम्बर, 2013 से 30 सितम्बर, 2013 तक आयोजित किया गया
5.	अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन योजना	1	लागू	लागू	लागू	लागू	लागू
6.	कर्मचारियों के लिए हिन्दी में सर्वाधिक कार्य प्रोत्साहन योजना	1	लागू	लागू	लागू	लागू	लागू
7.	राजभाषा विस्तारिका का प्रकाशन	1	—	1 (30 सितंबर, 2013 तक)	—	—	(30 जून, 2014 तक पूरा होने की संभावना है)
8.	तिमाही बैठक का आयोजन	4	1 (30 जून, 2014 तक)	1 (30 सितंबर, 2013 तक)	1 (31 दिसंबर, 2013 तक)	1 (31 मार्च, 2014 तक)	4 (4 जुलाई, 12 सितम्बर, 31 दिसम्बर, 2013 एवं 12 मार्च, 2014)
9.	हिंदी टाईपिंग प्रशिक्षण	6 (अवर श्रेणी लिपिक )	—	2 ( 31 मार्च, 2013)	2 ( 31 मार्च, 2014)	2 ( 31 मार्च, 2015)	2 प्रशिक्षित ( अब 18 एम.टी.एस को मिलाकर 24 हो गए हैं)
10.	हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण	1 (आशुलिपि)	—	—	—	1 (31 मार्च, 2014)	प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं लिया।

हिंदी अनुभाग की वर्ष 2015-16 की कार्य योजना

क्र.सं.	कार्य	लक्ष्य (संख्या में)	पूरा करने की अवधि			
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही
1.	हिन्दी कार्य की प्रगति हेतु अनुभागों का निरीक्षण	12 अनुभाग	3	3	3	3
2.	कार्यशाला / राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन	4	1 (30 जून, 2015 तक)	1 (30 सितंबर, 2015 तक)	1 (31 दिसंबर, 2015 तक)	1 (31 मार्च, 2016 तक)
3.	वेबसाइट का द्विभाषीकरण	निदेशालय की वेबसाइट का द्विभाषीकरण – आवश्यकतानुसार	1	—	—	—
4.	हिंदी पखवाड़े का आयोजन	1	—	1 (30 सितंबर, 2015 तक)	—	—
5.	अधिकारियों के लिए हिन्दी में डिक्टेशन देने की प्रोत्साहन योजना	1	लागू	लागू	लागू	लागू
6.	कर्मचारियों के लिए हिन्दी में सर्वाधिक कार्य प्रोत्साहन योजना	1	लागू	लागू	लागू	लागू
7.	राजभाषा विस्तारिका का प्रकाशन	1	—	1 (30 सितंबर, 2015 तक)	—	—
8.	तिमाही बैठक का आयोजन	4	1 (30 जून, 2015 तक)	1 (30 सितंबर, 2015 तक)	1 (31 दिसंबर, 2015 तक)	1 (31 मार्च, 2016 तक)
9.	हिंदी टाईपिंग प्रशिक्षण	15 (3+12) (अवर श्रेणी लिपिक + एम.टी.एस.)	4 (30 जून, 2014 तक)	4 ( 31.मार्च, 2015)	4 ( 31.मार्च, 2016)	3 ( 31.मार्च, 2017)
10.	हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण	—	—	—	—	—
11.	वाक्य/शब्दांश का परिचालन	माह में एक बार				
12.	विद्वानों/महापुरुषों के विचारों की सूची	माह में एक बार				

**हिंदी अनुभाग की वर्ष 2014-15 के कार्य योजना की उपलब्धियां**

क्र.सं.	कार्य	लक्ष्य (संख्या में)	पूरा करने की अवधि				टिप्पणी
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	
1.	हिन्दी कार्य की प्रगति हेतु अनुभागों का निरीक्षण	12 अनुभाग	3	3	3	3	8 अनुभाग
2.	कार्यशाला राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन	3	1 (31 मार्च, 2014)	1 (30 सितंबर, 2014 तक)	1 (31 दिसंबर, 2014 तक)	1 (31 मार्च, 2014 तक)	3 (26.03.2014, 28.07.2014, 04.08.2014 एवं 15.12.2014)
3.	वेबसाइट का द्विभाषीकरण	निदेशालय की वेबसाइट का द्विभाषीकरण.	—	—	—	—	सामग्री का अनुवाद/पुनरीक्षण कार्य किया जा चुका है। टंकण/मिलान का कार्य अंतिम चरण में है।
4.	हिंदी पखवाड़े का आयोजन	1	—	1 (30 सितंबर, 2014 तक)	—	—	16 सितम्बर, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक आयोजित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर भव्य काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें देश व दिल्ली के प्रतिष्ठित व कुछ नवोदित कवियों ने भाग लिया।
5.	अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन योजना	1	लागू	लागू	लागू	लागू	लागू
6.	कर्मचारियों के लिए हिन्दी में सर्वाधिक कार्य प्रोत्साहन योजना	1	लागू	लागू	लागू	लागू	लागू
7.	राजभाषा विस्तारिका का प्रकाशन	1	—	1 (30 सितंबर, 2015 तक)	—	—	प्रेस में भेज दी गई है।
8.	तिमाही बैठक का आयोजन	4	1 (30 जून, 2014 तक)	1 (30 सितंबर, 2013 तक)	1 (31 दिसंबर, 2013 तक)	1 (31 मार्च, 2014 तक)	3 (15 जुलाई, 2014, 11 सितम्बर 2014, 02 जनवरी, 2015)
9.	हिंदी टाईपिंग प्रशिक्षण	6 (अवर श्रेणी लिपिक )	—	2	2	2	1 अवर श्रेणी लिपिक एवं एक एम.टी.एस. प्रशिक्षित तथा 1 एम.टी.एस. अनुत्तीर्ण
10.	हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण	1 (आशुलिपि)	—	—	—	1	16 फरवरी, 2015 से जनवरी, 2016 तक चलने वाले प्रशिक्षण कक्षा में नामित किया गया।